बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक– 28.11.13

विषय :–राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में संविदा पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि एवं सुपर स्पेशियलिस्ट चिकित्सक शिक्षकों/ चिकित्सकों के मानदेय निर्धारण के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–414(17) दिनांक–03.05.2011 द्वारा संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों का मानदेय निर्धारित किया गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–03/एम0–78/2005–2401/कार्मिक दिनांक–18.07.2007 की कंडिका-5के प्रावधानानुसार त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का मानदेय निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। साथ ही मानदेय पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जायगी।

क्र० सं०	पद का नाम	मानदेय	मानदेय की अधिकतम सीमा
1	2	3	4
1	सहायक प्राध्यापक	रूपये 47,000 (सैंतालीस हजार)	रूपये 91,000 (एकानवे हजार)
2	सह–प्राध्यापक	रूपये 50,000 (पचास हजार)	रूपये 94,000 (चौरानवे हजार)
3	प्राध्यापक	रूपये 94,000 (चौरानवे हजार)	रूपये 1,51,000 (एक लाख एकावन हजार)

2. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के पूर्णतया क्रियाशील होने पर सुपर स्पेशियलिटी विभाग के चिकित्सक शिक्षकों का मानदेय निम्नप्रकार निर्धारित किया जाता है। साथ ही मानदेय पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जायेगी ।

D/r.n.sinha/Sankalp Letter

क्र० सं०	पद का नाम	मानदेय
1	2	3
1	सहायक प्राध्यापक, सह जूनियर कंसलटेंट	रूपये 90,000 (नब्बे हजार)
2	सह–प्राध्यापक, सह सीनियर कंसलटेंट	रूपये 1,15,000 (एक लाख पन्द्रह हजार)
3	प्राध्यापक, सह चीफ कंसलटेंट	रूपये 1,30,000 (एक लाख तीस हजार)

उपरोक्त में सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/11/2013

(संजय कुमार)

28/11/13 **सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक–17 / विविध–1–12 / 2011 – 1267 (17) **पटना, दिनांक–** 28.11.13

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सी० डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1,000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

28/11/2013

28/11/13 **सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक–17 / विविध–1–12 / 2011 – 1267 (17) **पटना, दिनांक–** 28.11.13

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर सचिव / सयुक्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी एवं अन्य सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य / अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 17 /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2013

28/11/13 **सरकार के संयुक्त सचिव।**

D/r.n.sinha/Sankalp Letter